Title: Need to issue clear cut instructions to States for providing reservations to Scheduled Castes & Scheduled Tribes in jobs as per the provisions made in article 16 (4A) of the Constitution.

भी अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): देश की सबसे बड़ी कानून बनाने की संस्था संसद है तथा संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायात्य एवं उच्च न्यायात्य को हैं। भारत के सबसे बड़े कानून संविधान में संसद द्वारा राज्यों की सहमति से 77वां एवं 85वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 16(4ए) जोड़ा गया हैं। तब इसे लागू करने एवं पूमावी बनाने के लिए भर्तें तय करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायात्य को या किसी राज्य के उच्च न्यायात्य को नहीं होना चाहिए। एम. नागराज के पूकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पदोन्नित में संविधान पूदत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो भर्तें तय की गई उससे ऐसा पूतीत होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) का लाभ पूप्त नहीं हो रहा है एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति में क्रीमी - लेयर की अवधारणा विकसित करने का पूयास किया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की विधि एवं न्याय मंत्री एवं कार्मिक एवं पूशिक्षण मंत्री से अपील करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित राज्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश नारी करावें।